

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10948 / 2855

दिनांक :- 20-02-2019

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कुमार [लिंक न. 10948] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटड़ी, भीलवाड़ा - [22654] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 17/07/2017 से 31/07/2017 तक 15 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 01/08/2018 से 21/09/2018 तक 52 दिवस

कुल 67 दिवस

उक्त कुल 67 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कुमार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10948 / 2855

दिनांक :- 20-02-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटड़ी, भीलवाड़ा
2. कोषाधिकारी भीलवाड़ा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कुमार [10948] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटड़ी, भीलवाड़ा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)